जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक / जीविवि. / स्ट्राँगरूम / गोप–2 / 2022 / 331 दिनांक 17/5/22

/ / अधिसूचना / /

परीक्षा केन्द्रो से अनुचित साधन प्रकरण (UFM) सही तरीके से न भेजे जाने से मूल्यांकन कार्य में होने वाले बिलम्व और कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्राध्यक्ष कृपया निम्न निर्देशो का आवश्यक रूप से ध्यान रखें एवं

1. अनुचित साधन प्रकरण के पैकेट / बण्डल पर बड़े अक्षरों में नकल प्रकरण या "(UFM)" लिखा जाना चाहिये।
2. अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थीयों की प्रथम और द्वितीय उत्तरपुस्तिका का (यदि परीक्षार्थी लेता है तो) टैग (धागे) से नत्थी की जानी चाहिये।
3. अनुचित साधन प्रकरण का प्रपत्र 4 पृष्ठ का है इस प्रपत्र के सभी कॉलम स्पष्टतः भरे एवं विधिवत हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
4. परीक्षार्थी से प्राप्त नकल सामग्री पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक एवं केन्द्राध्यक्ष की सील अवश्य लगाई जावे।
5. अनुचित साधन प्रकरण वाले प्रश्न–पत्र की एक प्रति सहित कक्षा तथा विषय के अनुसार प्रृथक–प्रृथक पैकेट / बण्डल बनाए जाने चाहिए।
6. सामूहिक नकल वाले प्रकरणों के बण्डल / पैकेट पर स्पष्टतः बड़े अक्षरो में " सामूहिक नकल" लिखा जाना आवश्यक है।
7. सामान्य परीक्षा के बण्डलों तथा अनुचित साधन प्रकरण (UFM) के बण्डलो को एक में न रखते हुये अलग–अलग भेजना चाहिऐ।

17/5/22

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त केन्द्राध्यक्ष / प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहा. / उप–कुलसचिव (गोपनीय)